

Urgent today
just now

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./सामान्य/2017/ 817

दिनांक: 8-11-17

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान


विषय:- राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 6 नवम्बर 2017 से सामुहिक त्यागपत्र/अवकाश पर रहने के दौरान पोस्टमार्टम एवं मेडिको-लीगल कार्य सम्पादित करवाने के संदर्भ में।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्रांक चि.प्र./सामान्य/2017/811 दिनांक 06.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 06, नवम्बर 2017 से सामुहिक त्याग पत्र/अवकाश पर रहने के कारण विभिन्न अस्पतालों में पोस्टमार्टम एवं मेडिको-लीगल सेवाओं की उपलब्धता में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

अतः निर्देशानुसार उक्त स्थिति के मध्यनजर पोस्टमार्टम एवं मेडिको-लीगल सेवाओं की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आपके अधीनस्थ जिले की चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकों, निजी अस्पतालों के रजिस्टर्ड चिकित्सकों तथा आवश्यकता पडने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के चिकित्सकों से सेवारत चिकित्सक ड्यूटी पर उपस्थित होने तक की अवधि में पोस्टमार्टम एवं मेडिको-लीगल केसेज का कार्य सम्पादित करवायें, ताकि आमजन को पोस्टमार्टम एवं मेडिको-लीगल सेवाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो सकें।

उपरोक्त आदेश सक्षम स्वीकृती के उपरांत जारी किये गये है।



(डॉ. वी. के. माथुर)
निदेशक, जन. स्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

क्रमांक चि.प्र./सामान्य/2017/ 817

दिनांक: 8-11-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को ई-मेल व वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. वी. के. माथुर)
निदेशक, जन. स्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें